

कार्यालय
पत्रांक:-क-13/एफएस-2016
सेवा में,

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक
दिनांक: जनवरी

गाजियाबाद
201

नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

विषय:- इन्दिरापुरम हैबिटेड सेन्टर प्रा0लि0 द्वारा प्लॉट नम्बर-16 अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर प्रस्तावित इन्दिरापुरम हैबिटेड सेन्टर के निर्माणाधीन ब्लॉक "पी" के मानचित्रों पर अनुज्ञा हेतु कम्पाउण्डिंग प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने व सम्बन्ध में।

यूआईडी नम्बर-2015/16402/जीजैडबी/गाजि0/1057/जे0डी0

कृपया उपरोक्त विषयक प्रस्तावित भवन को आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कम्पाउण्डिंग प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का परीक्षण अग्निशमन अधिका वैशाली द्वारा किया गया। आख्या दिनांक: 07.01.2016 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीशीलन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

प्रश्नगत भवन के प्रस्तावित ब्लॉक 'पी' को भूतल से 10 वे तल तक भवन निर्माण हेतु संयुक्त निदेशक फायर सर्विस उ0 लखनऊ के पत्र संख्या: आर-116/जे0डी0/लखनऊ-13(गा0बाद)/288 दिनांक 29-8-2013 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। वर्तमान में आवेदक द्वारा उक्त ब्लॉक में दो अतिरिक्त तलों का निर्माण व अन्य तलों पर आंशिक संशोधन करा जाने सम्बन्धी मानचित्रों की अनुज्ञा हेतु अग्नि सुरक्षा सम्बन्धी प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है भवन की संरचना (मानचित्रों के अनुसार)
कुल प्लॉट एरिया-50,800.00 वर्गमीटर।

क्रम	तलों का विवरण	पूर्व में स्वीकृत/निर्मित	वर्तमान में प्रस्तावित	अधिभोग
1-	भूतल	2029.43	-	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
2-	प्रथम	1644.64	-	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
3-	द्वितीय	1734.56	-	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
4-	तृतीय	998.21	185.77	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
5-	चतुर्थ तल	998.21	954.54	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
6-	पंचम तल	998.21	954.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
7-	छटवा तल	998.21	954.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
8-	सातवा तल	581.08	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
9-	आठवा तल	581.08	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
10-	नवा तल	581.08	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
11-	दसवा तल	581.08	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
12-	ग्यारवा तल	-	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज
13-	बारहवा तल	-	951.46	हैबिटेड सेन्टर एवं सम्बन्धित एक्टिविटीज

प्रस्तावित भवन की ऊँचाई-51.70 मीटर प्रस्तावित है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड:-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 मानक की मिक्सड आक्यूपेन्सी (व्यवसायिक/क्लब एर आवासीय आदि) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथा बेसमेन्ट का प्रयोग एन0बी0सी0 मानक/भवन निर्माण विकास उपविधि में दिये प्राविधानों के अनुरूप ही अनुमन्य होगा।

आवागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रो मे रोड की चौड़ाई 30 मीटर है जो भवन विनियमली के मानको के अनुसार है।

2-प्रवेश द्वार:-प्रश्नगत भवन मे प्रवेश द्वार की चौड़ाई 6.00 मीटर है।

3-सैटबैक:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मीटर।

बी-पृष्ठभाग-15.00 मीटर।

सी-पार्श्व प्रथम-15.00 मीटर।

डी-पार्श्व द्वितीय-15.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण परिसर के चारो तरफ सैट बैक प्रस्तावित है। जो भवन विनियमावली के अनुसार है। सम्पूर्ण परिसर के चारो तरफ अग्निशमन वाहनो की आवश्यकताओ के दृष्टिगत वाछित 6.00 मीटर मोटरेबुल मार्ग प्रदर्शित है। जिसे सदैव अवरो मुक्त ऑपन टू स्काई रखा जायेगा। इसमे किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग:-प्रश्नगत ब्लॉक मे निकास हेतु दो स्टेयर केस 1.50 मीटर (प्रत्येक) चौड़ाई की प्रस्तावित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानो से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। फायर स्केप स्टेयर केस मे 01 घण्टे फायर रेटिंग का फायर चैक डो स्थापित करते हुये इसे एन0बी0सी0 मानको के अनुसार फायर टावर के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा।।

(2) लिफ्ट:-लिफ्ट को एन0बी0सी0 मानको के अनुरूप फायर लिफ्ट के रूप मे बनाया जाना अनिवार्य होगा।

5-रिफ्यूज एरिया:-भवन मे रिफ्यूज एरिया हेतु ऊपरी तलो पर बने आवासीय सूटो मे बालकॉनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानव के अनुरूप है।

प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 तथा भवन की महत्ता एवं फायर रिस्क के दृष्टिग निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना आवश्यक है।

1-भूमिगत टैंक:-प्रश्नगत भवन मे न्यूनतम 2,00,000 लीटर (दो लाख) क्षमता का भूमिगत टैंक स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

2-पम्प रूम:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एलपीएम क्षमता के दो अदद इलेक्ट्रिक फायर पम्प समान क्षमता का डीजल चालित पम्प ए 180 एलपीएम क्षमता का जौकी पम्प को स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

3-टैरिस टैंक :-प्रस्तावित भवन की टेरेस पर टेरेस टैंक क्षमता 20,000 लीटर स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

4-होजरील मय डाउन कमर:-प्रश्नगत भवन में प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वात्व मय होज बाक्स, होज पाइप एवं ब्रांच पाइ आईएस: 3844 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

5-वैट राईजर:-प्रस्तावित भवन मे वैट राईजर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।

6-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर मे यार्ड हाइड्रैन्ट्स हौज केबिनेट एवं उसमे डिलेवरी हौज तथा ब्रान्च पाईप एवं फायर सर्विस इनलेट व प्राविधान आईएस-13039:1991 के अनुसार वाँछनीय है।

7-ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम:-प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

8-ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको अनुसार कराया जान वाँछनीय है।

9-मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:- प्रस्तावित भवन मे मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार कराया जाना वाँछनीय है।

10-फायर एक्सटिंग्यूशर: प्रश्नगत भवन में आई0एस0 2190 मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर्स का प्राविधान कराया जाना वाँछनीय है।

11-एग्जिट साइनेज:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे एग्जिट साइनेज मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

12-पी0ए0सिस्टम:- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन मे पी0ए0 सिस्टम का प्राविधान मानको के अनुसार वाँछनीय है।

13-स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:-प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम का प्राविधान एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराया जाना वाँछनीय है।

14-प्रेशराइजेशन प्रणाली:- प्रश्नगत भवन मे प्रेशराइजेशन प्रणाली की स्थापना एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित करायी जान वाँछनीय है।

अतः उपरोक्तानुसार इन्दिरापुरम हैबीटेड सेन्टर प्रां०लि० द्वारा प्लॉट नम्बर-16 अहिंसा खण्ड इन्दिरापुरम गाजियाबाद प्रस्तावित इन्दिरापुरम हैबीटेड सेन्टर के निर्माणाधीन ब्लॉक "पी" के मानचित्रो पर अनुज्ञा हेतु कम्पाउण्डिंग प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण : इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा एन०बी०सी०-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायें तथा भवन निर्माण उपरान्त भवन प्रयोग करने से पूर्व भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग कराकर पूर्णता अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक:- अनुमोदित मानचित्र

पुलिस अधीक्षक नगर
गाजियाबाद।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गाजियाबाद।

प्रातिहस्ताक्षरित

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गाजियाबाद।